(140)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प भोपाल (म0प्र0)

PBR/ निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2017/4934 प्र.क.–

1. लीलाधर राठौर आत्मज स्व. भगवानदास राठौर
2. लल्लूधर राठौर पुत्र स्व. भगवानदास राठौर

दोनों निवासी–गणेशगंज, होशंगाबाद (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमति राजकुमारी पत्नि श्री मन्नूलाल कोरी
निवासी–सुभाषगंज होशंगाबाद (म.प्र.) .... अनावेदिका

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959</u>

निगरानी विरूद्ध आदेश पारित द्वारा न्यायालय नजल अधिकारी, होशंगाबाद (म.प्र.) प्र.क. 282 अ–6/2012–13 आदेश दिनांक 22/09/2017 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर ठोस आधारों पर प्रस्तुत है ।

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण–</u>

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा नामांतरा हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि इसी भूमि से संबंधित नामांतरण का प्रकरण पूर्व में प्रस्तुत किया गया था जो कि प्र.क. 38/अ–6/2008–09 पर दर्ज हुआ एवं अनावेदिका को साक्ष्य हेतु मौके दिया जाने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण दिनांक–5/2/2010 को प्रकरण खारिज कर दिया गया । इसलिये उक्त प्रकरण तथ्यों को छुपाकर पेश होने के कारण एवं प्रचलन योग्य नहीं होने से अनावेदिका का नामांतरण आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति को निरस्त कर दिया जाकर आवेदिका को पुनः अवसर प्रदान किया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/R/होशंगाबाद/RSM/M/4934

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 23-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	